उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल
दिवस 22 अगस्त 2022
माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी
रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1095 सन् 2022

टेकचन्द भाटिया ... याचिकाकर्ताओं
(द्वारा श्री नरेन्द्र बली अधिवक्ता)
और
हरवंश लाल भाटिया एवं अन्य ...उत्तरदाताओं
(द्वारा श्री नवनीस नेगी अधिवक्ता उत्तरादाता संख्या 3)

याचिकाकर्ता

(द्वारा श्री एम.सी. काण्डपाल एडवोकेट, श्री बी0डी0 पाण्डे, श्री हरीश सनवाल, श्री पूरन सिंह रावत, श्री हरिमोहन भाटिया, श्री करन आनन्द, श्री पंकज कपिल, श्री दुष्यंत मनाली, श्री डी0पी0 मित्तल, श्री मनीष लाहोनी, श्री प्रणव सिंह, श्री रजत मित्तल, श्री पी पी भट्ट, दीपा आर्या, श्री संदीप तिवारी एवं मतलूब एडवोकेट)

उत्तरदाताओं–

(द्वारा श्री पी0सी0 बिष्ट व अन्य मय वी एस रावत और श्री आशीष जोशी, विद्वान अधिवक्ता उत्तराखण्ड जनता सेवा आयोग।

<u>निर्णय</u>

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह याचिका 2019 के एससीसी पुनरीक्षण संख्या 25 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2020 के खिलाफ निर्देशित है। उक्त निर्णय से, ट्रायल कोर्ट के आदेश ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए याचिकाकर्ता के पक्षकार आवेदन की अनुमति को निरस्त कर दिया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने माधव मोहन घिल्डियाल (प्रतिवादी) के खिलाफ बेचने के लिए एक मौखिक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के दादा के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने एक अचल संपत्ति जिसमें एक घर और खुली जमीन को 16000/–रुपये के संबंध में बेचने के लिए एक मौखिक समझौता किया था और इस तरह के मौखिक समझौते के अनुसार, उन्होंने बिक्री के पूरे मूल्य का भुगतान किया था, हालांकि, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक की मृत्यु के कारण, बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया जा सका। प्रतिवादी नं0 1 ने वादपत्र में कुछ चीआ का उल्लेख किया था जिसके माध्यम से उसने कथित रूप से बिक्री प्रतिफल की राशि का भुगतान किया था।

4. याचिकाकर्ता, जो वादी (प्रतिवादी संख्या 1) का भाई है, ने उक्त मुकदमे में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि माधव मोहन घिल्डियाल (प्रतिवादी) ने उसके बाद सूट की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। बिक्री प्रतिफल प्राप्त कर रहा है और वह मालिक के रूप में उक्त संपत्ति के कब्जे में है, इसलिए, वह मुकदमे में शामिल होने का हकदार है। उक्त आवेदन

को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 15.07.2019 के आदेश द्वारा लिखित बयान के पैरा 4 में दिए गए एक बयान पर भरोसा करते हुए अनुमति दी थी, जहां प्रतिवादी ने कहा था कि 1999 में दायर बेदखली के अपने मुकदमे में, प्रतिवादी संख्या 1 ने यह स्टैंड लिया था कि बेचने का कथित समझौता वादी के भाई (टेक चंद भाटिया) के पक्ष में निष्पादित किया गया था, लेकिन वर्तमान मुकदमें में उसने यह कहते हुए यू–टर्न ले लिया कि वह उक्त समझौते का पक्षकार था।

5. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, वादी (यहां प्रतिवादी संख्या 1) ने दीवानी पुनरीक्षण दायर किया, जिसे विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोटद्वार, गढ़वाल ने निर्णय द्वारा अनुमति दी। दिनांक 14.02.2020, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ता के आवेदन पर फिर से विचार करने के लिए मामल को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया गया था। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में चुनौती दी गई है। विवादित निर्णय रिट याचिका के अनुबंध–1 के रूप में रिकॉर्ड पर है।

6. विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख के निष्पादन का दावा नहीं किया था, और यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच बिक्री के लिए कोई समझौता किया गया था, तो याचिकाकर्ता विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा ला सकता है, और यदि वह सूट की संपत्ति पर कब्जे के आधार पर किसी अधिकार का दावा करता है, तो भी उसे एक अलग मुकदमा लाना होगा। इस प्रकार, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच विवाद के प्रभावी और पूर्ण निर्णय के लिए याचिकाकर्ता की उसके भाई द्वारा दायर वाद में उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

7. विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा व्यक्ति किए गए दृष्टिकोण में कोई दुर्बलता प्रतीत नहीं होती है। विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, केवल वे व्यक्ति, जो समझौते के पक्षकार हैं, आवश्यक पक्ष हैं। माना जाता है कि, याचिकाकर्ता वादी और प्रतिवादी के पूर्ववर्ती के बीच कथित रूप से किए गए बेचने के समझौते का पक्ष नहीं था, इसलिए, उसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर मुकदमे में एक आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं कहा जा सकता है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा (1995) 3 एससीसी 147 के मामले में प्रतिवेदित, निम्नानुसार आयोजित किया हैः

> ''9. आदेश 1 नियम 10 का उप–नियम (2) प्रदान करता है कि न्यायालय या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, किसी भी पक्ष को जोड़ सकता है, जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि न्यायालय को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से सक्षम बनाया जा सके। वाद में शामिल सभी

प्रश्नों का न्यायनिर्णयन और निपटान करना। चूंकि प्रतिवादी बिक्री के समझौते का पक्षकार नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी उपस्थिति के बिना विशिष्ट प्रदर्शन के रूप में विवाद निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए, वह आवश्यक नहीं है दल।''

9. सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत केवल वही व्यक्ति पक्षकार बनाया जा सकता है, जो किसी वाद के लिए आवश्यक या उचित पक्षकार हो। उपायुक्त बनाम रामकृष्ण एआईआर 1953 एससी 521 में रिपोर्ट किए गए थे, के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक निश्चित व्यक्ति एक कार्यवाही में एक आवश्यक पक्ष था दो परीक्षण प्रतिपादित किये।

1. विचाराधीन कार्यवाही में शामिल मामले के संबंध में ऐसा पार्टी के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए, और
2. ऐसी पार्टी के अभाव में प्रभावी डिक्री पारित करना संभव नहीं होना चाहिए।

''एक डिक्री की प्रभावशीलता का एक परीक्षण'' उनके आधिपत्य द्वारा मनाया जाता है, ''क्या उस डिक्री को लेनदारों की उपस्थिति के बिना निष्पादित किया जा सकता है, जैसा कि एक दावेदार के पक्ष में घोषित संपत्ति के संबंध में है।'' यह भी कहा गया था कि ''मुकदमे के फल में एक पार्टी के अंतिम हित को नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकारों की सही परीक्षा नहीं माना जा सकता है।''

इस प्रकार, आवश्यक पक्षकार वे हैं जिन्हें शामिल होना चाहिए था और जिनके बिना प्रभावी रूप से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी उपस्थिति स्वयं वाद के गठन के लिए आवश्यक है, दूसरे शब्दों में, जिनके बिना कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। उचित पक्ष वह है जिसके बिना कोई प्रभावी आदेश नहीं दिया जा सकता है, जिसकी उपस्थिति विवाद के पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक है।

10. पूर्वोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं पाता है, जो हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

11. तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और निरस्त।

(मनोज कुमार तिवारी, जे0)

निर्णय का हिन्दी अनुवाद द्वारा

सयन सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश, रामनगर।